बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–कि0आ0–03/2017 6210 खाद्य, पटना/दिनांक– 7/12/2017

प्रेषक

पंकज कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– ठेला भेण्डर के माध्यम से किरासन तेल के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:– इस कार्यालय का पत्रांक 5831 दिनांक 20.11.2017

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में ठेला भेंडर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किरासन तेल के वितरण के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में ठेला भेंडरों के टैगिंग के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी थी, इस संबंध में प्रावधान निम्नवत है:–

ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण), आदेश, 1984 के तहत निर्गत है, जिसके कंडिका–9 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी (उचित अवसर प्रदान करने के बाद) गोदाम, कारोबार, स्थान, भागीदारों के नामों, व्यापारिक वस्तुओं आदि के संबंध में अनुज्ञप्ति में की गयी प्रविष्टिया में अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर आवश्यक परिवर्द्धन, विलोपन तथा परिवर्तन कर सकेगा तथा भाग–04 के कंडिका–27 के (ग) के तहत अनुमंडल पदाधिकारी एवं विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, अनुज्ञापन पदाधिकारी घोषित हैं। विभागीय पत्र – 1004, दिनांक–22.03.2006 के द्वारा ठेला भेंडरों द्वारा किरासन तेल वितरण व्यवस्था को सुदृढ करने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत है एवं विभागीय पत्र–2054 दिनांक–19.06.2007 द्वारा भी उक्त प्रावधानों से सभी जिला पदाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।

अतः विभागीय पत्र–5831 दिनांक–20.11.2017 द्वारा Non-NFSA ग्रामीण परिवारों को ठेला भेंडर के माध्यम से किरासन तेल वितरण का क्षेत्र निर्धारण हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारीयों द्वारा ठेला भेंडरों की अनुज्ञप्ति में तत्संबंधी बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश 1984 के कंडिका–09 के आलोक में प्रावधान करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
(ह0)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–कि0आ0–03/2017 6210 खाद्य, पटना/दिनांक– 7/12/2017

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि भवदीय स्तर से भी इसकी समीक्षा करने की कृपा की जाय ।

(ह0)
सरकार के विशेष सचिव।